(1)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपलब्धता के अनुरूप ऊर्जा भंडारण की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने एवं ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने तथा पीक आवर्स में मांग की पूर्ति में सहायक हेतु बिहार पम्प भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति–2025 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार पम्प भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति–2025 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

2

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस नोट

गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा–शर्तें) (संशोधन) नियमावली–2025 की स्वीकृति दी गयी है। इसके फलस्वरूप गन्ना उद्योग विभाग अधीन बिहार ईख सेवा के पदाधिकारी चार चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण एक वर्ष का होगा। सेवा में मौलिक पद (ईख पदाधिकारी) के रूप में सभी नियुक्तियाँ एक वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(बी० कार्तिकेय धनजी)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने (अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक) की अवधि के रख–रखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय ₹179.37 करोड़ (एक सौ उन्यासी करोड़ सैंतीस लाख रू०) मात्र नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने तथा प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु 3–कार सिंगल ट्रेनसेट को किराये पर लेने हेतु 3 वर्षों की अवधि के लिए ₹21.1544646 करोड़ (इक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार छः सौ छियालीस रू०) मात्र (अन्य मदों की लागत तथा वस्तु एवं सेवा कर सहित) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(4)

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–02/2023

डा0 चन्दना कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) अनुमंडलीय अस्पताल, मंझौल, बेगूसराय को दिनांक–05.04.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–502(9) दिनांक–16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–862(9) दिनांक–24.08.2023 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–31.08.2023 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–592 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 चन्दना कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) अनुमंडलीय अस्पताल, मंझौल, बेगूसराय को दिनांक–05.04.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

5

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०–9/आ०–04–36/2023

डा० कृतिका सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखीसराय को दिनांक–24.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–537(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1096(9) दिनांक–05.10.2023 एवं पत्रांक–198(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–590 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 कृतिका सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखीसराय को दिनांक–24.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(6)

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–19/2023

डा0 निमिषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–511(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–980(9) दिनांक–15.09.2023 एवं पत्रांक–201(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–591 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 निमिषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

33/50

(7)

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–48/2023

डा0 कृति किरण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलसी, लखीसराय को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–534(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1116(9) दिनांक–06.10.2023 एवं पत्रांक–188(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 किरण को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–589 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 कृति किरण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलसी, लखीसराय को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

शैलेश कुमार
विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रानीपतरा – पूर्णियाँ रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–KJ-13 (M) (रेलवे कि०मी० 25/02–03) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹2446.56 लाख (रूपये चौबीस करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार मात्र) सहित कुल ₹4485.56 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रानीपतरा – पूर्णियाँ रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–KJ-13 (M) (रेलवे कि०मी० 25/02–03) के बदले आर०ओ०बी० का निर्माण पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच निष्पादित एम०ओ०यू० दिनांक–07.05.2019 अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर किया जा रहा है।

यह आर०ओ०बी० कटिहार–जोगबनी मुख्य रेलवे लाईन के अन्तर्गत पूर्णियाँ–रानीपतरा रेल खंड के बीच अवस्थित है एवं इसके संरेखण से पूर्णियाँ–कदवा–सोनौली–आजमनगर–आबादपुर मुख्य पथ गुजरती हैं, जो महत्वपूर्ण शहरों /गाँवों को जोड़ती है, जिस पर Traffic Volume अत्यधिक रहता है।

प्रस्तावित 2–लेन आर०ओ०बी० की कुल लम्बाई 611.18 मीटर है, जिसमें आर०ओ०बी० अंश–31.20 मीटर, भाया डक्ट–218.65 मीटर, आर०ई०वॉल–361.33 मीटर के अतिरिक्त सर्विस रोड तथा पहुँच पथ का निर्माण कार्य शामिल है।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

"वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सहायक अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजटीय उपबंध की कुल राशि ₹3,94,41,24,000/– (तीन अरब चौरानबे करोड़ इकतालीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं राशि की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में

राज्य के "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान उपरान्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

(दिनेश कुमार)
सचिव, शिक्षा विभाग।

62

10

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–25/2025

प्रेस नोट

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 80,00,00,000.00 (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति से संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :–विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–24/2025

प्रेस नोट

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 90,00,00,000.00 (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति से संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :–विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 7832.29 करोड़ (अठहत्तर सौ बत्तीस करोड़ उन्नतीस लाख रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

इस योजना अन्तर्गत पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 35.13 (नेपाल भाग) तक एवं भारतीय भाग में आवश्यकतानुसार पश्चिमी कोशी मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों का लाईनिंग कार्य, क्रॉस ड्रैनेज संरचनाओं, गेट एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य एवं नये संरचनाओं का निर्माण कार्य, नहरों के बांध पर सेवा पथ का निर्माण कार्य, 58658 हे0 कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के सृजन हेतु उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वरस्थान शाखा नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर का विस्तारीकरण कार्य तथा उपवितरणी तक नहरों में स्काडा प्रणाली लगाने का कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से दरभंगा जिला अन्तर्गत अलीनगर, बहेड़ी, बिरौल, घनश्यामपुर, गौड़ा बौराम, हनुमान नगर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट, ताराडीह, मनीगाछी, केवटी, दरभंगा सदर, बेनीपुर एवं बहादुरपुर (कुल 16 प्रखंड) तथा मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकही, खुटौना, घोघरडीहा, फुलपरास, बाबूबरही, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, मधेपुर, लखनौर, खजौली, लदनियाँ, लौकहा, राजनगर, पंडौल, कलुआही, रहिका, बेनीपट्टी, बिस्फी, बासोपट्टी, हरलाखी एवं मधवापुर (कुल 20 प्रखंड) लाभान्वित होंगे।

इस योजना का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (सी0सी0ए0) 215672 हे0 तथा वार्षिक सिंचन क्षमता 291158 हे0 है।

इस योजना अन्तर्गत 58658 हे0 कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र का सृजन हेतु उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वरस्थान शाखा नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर का विस्तारीकरण कार्य का प्रावधान है।

इस योजना को मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

12/3/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
प्रेस–विज्ञप्ति

शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से नेचुरल गैस का व्यवसाय करने वाले तथा उद्योग संगठनों द्वारा अनुरोध किया जाता रहा था कि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार राज्य में नेचुरल गैस (Natural Gas) पर वैट की दर अधिक है।

उपरोक्त मांगों पर विचार करने के पश्चात सरकार द्वारा शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री किये जानेवाले नेचुरल गैस पर वैट की दरों में अधिसूचना सं0 एस0ओ0 452 दिनांक 03.10.2024 द्वारा कमी की गई थी। राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कर दर संबंधी अधिसूचना में कतिपय शर्तें रखी गयी थी।

अधिसूचना निर्गमन के पश्चात यह पाया गया कि कुछ मामलों में, घटी हुई कर–दर का लाभ छोटे उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

इस आलोक में अधिसूचना सं0 एस0ओ0 452 दिनांक 03.10.2024 द्वारा लगाई गई शर्तों में संशोधन किया जा रहा है ताकि राज्य के सभी छोटे उपभोक्ताओं को नेचुरल गैस पर वैट की घटी हुई दर का लाभ प्राप्त हो सके।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
प्रेस–नोट

राज्य के करदाताओं का राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंधित नॉन कारपोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु "बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025" को स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को पाँच लाख रू0 की अनुदान राशि दी जाएगी।

इस योजना से राज्य क्षेत्राधिकार के व्यवसायियों के साथ–साथ केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा प्रशासित जीएसटी के करदाता भी आच्छादित होंगे।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा नए रोजगार सृजन करने की वचनबद्धता की पूर्ति के उद्देश्य से अगले 05 वर्षो का दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु रोजगार/नौकरी के नए अवसर को तलाशने एवं रोजगार सृजन हेतु व्यापक रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न प्रस्ताव है:-

(i) आगामी 05 वर्ष (2025–30) की अवधि में 01 करोड़ नई नौकरी/रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया जाय।

(ii) नई नौकरी/रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्पों पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाय।

राज्य में नए रोजगार के सृजन का अवसर मिलने से युवाओं को आर्थिक सम्बल प्राप्त होगा। नए रोजगार के सृजन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेगें।

सचिव
श्रम संसाधन विभाग

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना** ।

16

प्रेस नोट

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शानुसार राज्य सरकार की गारंटी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं इत्यादि को दिये गये ऋणों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) (GRF) का गठन किया गया है ।

इस निधि के गठन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं इत्यादि द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त ऋणों के भुगतान में चूक की स्थिति में ऋणों की वापसी/दायित्वों का भुगतान इस निधि से किया जा सकेगा ।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

वित्त विभाग

बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी जाती है।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट
वित्त विभाग

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक– 01/01/2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतनवृद्धि (01 जनवरी/01 जुलाई) की स्वीकृति दी जाती है।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–चकाई के विभिन्न मौजा, खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–152.60 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

(29)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–सोनो, मौजा–गढ़टाँड़, थाना सं0–22/51, खाता सं0–178 के खेसरा सं0–1555 एवं 2283 के रकबा क्रमशः–10.22 एकड़ एवं 2.50 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–12.72 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

21

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–गिद्धौर, मौजा–गुगुलडीह, थाना सं0–148, खाता सं0–543, खेसरा सं0–3180, रकबा–110 एकड़ एवं मौजा–गंगरा, थाना सं0–123, खाता सं0–261 के खेसरा सं0–1156, 3305 के रकबा क्रमशः–07 एकड़ एवं 08 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–125 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

22

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

शिवहर जिलान्तर्गत अंचल—शिवहर के मौजा—शिवहर, थाना सं0—163, खाता सं0—2311, खेसरा सं0—2070 के कुल प्रस्तावित रकबा—05 एकड़ 63 डी0 446 वर्गकड़ी, किस्म—धनहर—1, बिहार सरकार की भूमि पर मंडल कारा, शिवहर के निर्माण हेतु गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

(23)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

वैशाली जिलान्तर्गत अंचल–हाजीपुर के मौजा–बड़ी युसुफपुर दिग्घी खुर्द, थाना सं0–156, खाता सं0–273, खेसरा सं0–383, रकबा–04 एकड़ गंगा परियोजना के तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अर्जित भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

24

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत दानापुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 99,09,63,992/– (निन्यानबे करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार नौ सौ बानवे रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

दानापुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

दानापुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 11753 गृह जल संयोजन हेतु 16 ट्यूब्वेल, 16 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 4 जलमीनार, 4 जलमीनार कैम्पस, 8.200 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 117.72 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क कार्य किया जायेगा, जिससे दानापुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

मुंगेर (सफियाबाद)–बरियारपुर– घोरघट–सुल्तानगंज (कुल लम्बाई 42.00 कि.मी.) गंगा पथ परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर क्रियान्वित कराये जाने हेतु वर्त्तमान कुल राशि 511980.00 लाख (पाँच हजार एक सौ उन्नीस करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित गंगा पथ परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास , शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढते दवाब के कारण जाम की समस्या के दृष्टिगत गंगा के किनारे वैकल्पिक गंगा पथ के निर्माण से आमजन का निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

१

प्रेस नोट

सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर (कुल लम्बाई 40.80 कि.मी.) गंगा पथ परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर क्रियान्वित कराये जाने हेतु वर्त्तमान कुल राशि 484983.00 लाख (चार हजार आठ सौ उनचास करोड़ तिरासी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित गंगा पथ परियोजना भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास , शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढते दवाब के कारण जाम की समस्या के दृष्टिगत गंगा के किनारे वैकल्पिक गंगा पथ के निर्माण से आमजन का निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

27

जन–निजी–भागीदारी (PPP) अंतर्गत DBFOT (Design Build Finance Operate and Transfer) पद्धति पर रा०उ०पथ सं०–31 में बख्तियारपुर से रा०उ०पथ सं०–28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4–लेन पुल एवं 4–लेन पहुँच पथ (पुल की लम्बाई 5.51 कि०मी० एवं पथ की लम्बाई 45.393 कि०मी०) परियोजना को पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त वन टाईम फन्ड इनफ्यूजन रु० 634.95 करोड़ एवं अन्य मदों की राशि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु० 3923.00 करोड़ (तीन हजार नौ सौ तेईस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा हो जाने से आमजनों का यात्रा सुगम एवं सुरक्षित हो जायेगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

28

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

विषयः– श्री नर्मदेश्वर सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक–605) सम्प्रति सेवानिवृत्त को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–8343/2024 नर्मदेश्वर सिंह चौहान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.10.2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में इनसे कनीय श्री द्विवेदी फणी भूषण, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक–607) को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के पश्चात योगदान की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने हेतु एक (01) छाया पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(सुधांशु कुमार चौबे)
सरकार के विशेष सचिव
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
बिहार, पटना।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/Inst/2025-ERS दिनांक–03.07.2025 के आलोक में निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु राज्य के 77895 बी०एल०ओ० एवं 8245 बी०एल०ओ० सुपरवाईजर को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एकमुश्त मानदेय ₹6,000/– (छः हजार) रूपये की दर से भुगतान हेतु कुल ₹51,68,40,000/–(इक्यावन करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–
नाम– मिथिलेश कुमार साहु
पदनाम– संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

30

प्रेस विज्ञप्ति

नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अन्तर्गत संचालित 81 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सृजित 3020 पद सहित) एवं नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अन्तर्गत संचालित 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सृजित 855 पद सहित) कुल 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को (3875 पद सहित) को स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्थानांतरित करने से पदाधिकारियों / कर्मचारियों के वेतनादि का ससमय भुगतान एवं संस्थानों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा।

सचिव
श्रम संसाधन विभाग